

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 2021-माघ-23, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, ऋतुज रमेश पंजाबी आत्मज श्री रमेश पंजाबी यह सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, मेरा एवं मेरे पूर्वजों का वास्तविक उपनाम (सरनेम) वाधवा है. अतः मैं, अपने नाम के पश्चात् उपनाम के रूप में पंजाबी के स्थान पर वाधवा का उपयोग करना चाहता हूँ. इस प्रकार आज दिनांक से मैं, उपनाम परिवर्तित होकर ऋतुज रमेश वाधवा के रूप में जाना एवं पहचाना जाऊंगा. अतः सर्व-साधारण सूचित हो.

पुराना नाम :

(ऋतुज रमेश पंजाबी)

(660-बी.)

नया नाम :

(ऋतुज रमेश वाधवा)

ई-2/365 अरेरा कॉलोनी,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, वीणा ऋतुज पंजाबी पत्नि श्री ऋतुज रमेश पंजाबी पुत्री श्री मकरंद ठोसर, भारतीय स्टेट बैंक स्थानीय प्रधान कार्यालय में ग्राहक सहायक के पद पर कार्यरत हूँ. यह सूचना-पत्र जारी करती हूँ कि मेरा विवाह के पूर्व का नाम कुमारी वीणा मकरंद ठोसर रहा है, तत्पश्चात् विवाह उपरांत वीणा ऋतुज पंजाबी के नाम से जानी जाने लगी. मेरे पति श्री ऋतुज रमेश पंजाबी का वास्तविक सरनेम वाधवा होने से मैं, अपने नाम के पश्चात् वाधवा सरनेम स्वीकार करती हूँ. अतः मैं, भविष्य में मुझे श्रीमती वीणा वाधवा के नाम से लिखा एवं पढ़ा जावे.

अतः सर्व-साधारण सूचित हो.

पुराना नाम :

(वीणा ऋतुज पंजाबी)

(659-बी.)

नया नाम :

(वीणा वाधवा)

ई-2/365 अरेरा कॉलोनी,
तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रभाकर तायवाड़े पुत्र स्व. श्री दत्तू तायवाड़े (PRABHAKAR TAIWADE S/o SHRI DATTU TAIWADE) निम्न श्रेणी लिपिक कार्यालय-जनरल मैनेजर फायनेंस पोस्टल एकाउन्ट डाक भवन, होशंगाबाद, भोपाल में कार्यरत हूँ. विभाग की सेवा-पुस्तिका में मेरा नाम प्रभाकर तायवाड़े पुत्र स्व. श्री दत्तू तायवाड़े (PRABHAKAR TAIWADE

S/o SHRI DATTU TAIYADE) त्रुटिपूर्ण अंकित हो गया है। जो कि मेरा सही नाम प्रभाकर तायवाड़े पुत्र स्व. श्री दत्तू तायवाड़े (PRABHAKAR TAIWADE S/o SHRI DATTU TAIWADE) मेरी अंकसूची, परिचय-पत्र, आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा नाम प्रभाकर तायवाड़े पुत्र स्व. श्री दत्तू तायवाड़े (PRABHAKAR TAIWADE S/o SHRI DATTU TAIWADE) जो कि सही व सत्य है। मुझे मेरे सही नाम/सरनेम प्रभाकर तायवाड़े पुत्र स्व. श्री दत्तू तायवाड़े (PRABHAKAR TAIWADE S/o SHRI DATTU TAIWADE) के नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

प्रभाकर तायवाड़े,

पुत्र-स्व. श्री दत्तू तायवाड़े.

(PRABHAKAR TAIWADE)

S/o SHRI DATTU TAIYADE.

(654-बी.)

नया नाम :

प्रभाकर तायवाड़े,

पुत्र-स्व. श्री दत्तू तायवाड़े.

(PRABHAKAR TAIWADE)

S/o SHRI DATTU TAIWADE

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मेरा नाम विशाल पटेल पिता घनश्याम पटेल, निवासी ग्राम/पोस्ट दतोदा, तहसील महू, जिला इन्दौर, म.प्र. है। मेरा उपनाम "पटेल" ही था व भविष्य में भी उपनाम "पटेल" ही रहेगा। यह सूचना मेरे द्वारा आर्मी के डिस्चार्ज बूक व रिकॉर्ड ऑफिस में "पटेल" उपनाम जोड़ने हेतु जारी की जा रही है।

पुराना नाम :

(विशाल)

(681-बी.)

नया नाम :

(विशाल पटेल)

पिता-घनश्याम पटेल,

पता-ग्राम/पोस्ट दतोदा, तहसील महू,

जिला-इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शिवांगी पाठक पति श्री अनिरुद्ध पाठक, उम्र-28 वर्ष, निवासी-ग्राम पोस्ट ननोदा, तहसील कुशी, जिला धार (म.प्र.) की हूँ, जो कि निम्न कथन शपथ पूर्वक करती हूँ—

1. यह कि, मेरा विवाह दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को श्री अनिरुद्ध पाठक के साथ सामाजिक रीति-रिवाज अनुसार सम्पन्न हुआ है।
2. यह कि, विवाह पूर्व मेरा नाम शिवांगी चौबे पिता श्री जय प्रकाश चौबे था तथा मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में यही लिखा हुआ है।
3. यह, चूँकि मेरा विवाह हो चुका है, अतः अब से मुझे शिवांगी पाठक के नाम से जाना, पहचाना, सम्बोधित एवं लिखा जावे।

पुराना नाम :

(शिवांगी चौबे)

(658-बी.)

नया नाम :

(शिवांगी पाठक)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है, कि मैंने अपने पुत्र का नाम ROMESH DANELIYA से बदलकर नया नाम RITURAJ DANELIYA रख लिया है। मेरे पुत्र को सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में उसके नये नाम RITURAJ DANELIYA के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे एवं एलआईसी की पॉलिसी क्रमांक 200731960 में भी मेरे पुत्र का नया नाम अंकित किया जावे।

श्री कुमार धनेलिया,

S/o धनीराम धनेलिया,

पता-B-उदगम रेसीडेंसी विकास नगर के पीछे,

कुशमोदा, गुना (म.प्र.).

(666-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, शैफाली कश्यप पुत्री श्री नगेन्द्र कुमार कश्यप की L.I.C. पॉलिसी क्रं. 200160855 में मेरा नाम राधिका पुत्री श्री नगेन्द्र कुमार कश्यप था. जो कि मेरा बचपन का प्रचलित नाम था. अब मैंने अपना नाम बदलकर राधिका के स्थान पर नया नाम शैफाली कश्यप रख लिया है. वास्तव में दोनों नाम मेरे ही हैं.

अतः भविष्य में मुझे शैफाली कश्यप के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(राधिका)

(667-बी.)

नया नाम :

(शैफाली कश्यप)

पुत्री-श्री नगेन्द्र कुमार कश्यप,
निवासी-हनुमान रोड कटरा मौहल्ला, जैन मंदिर के सामने,
वार्ड नं. 2, राधौगढ़, जिला-गुना (म.प्र.)

CHANGE OF NAME

I, Sonika jain D/o Virendra Jain hereby declare that after marriage, I have changed my name as Nidhi Kaur Tuteja W/o Ratandeep Singh Tuteja so from now and in future. I will be known by my new name.

Old Name :

(SONIKA JAIN)

D/o Virendra Jain.

(668-B.)

New Name :

(NIDHI KAUR TUTEJA)

W/o Ratandeep Singh Tuteja.
Address-16/A, Pratap Nagar,
Manik Bagh Road, Indore 452007 (M.P.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना नाम मोहर सिंह कुशवाह से बदलकर नया नाम बन्दी रख लिया है. मुझे सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मुझे मेरे नये नाम बन्दी के नाम से जाना एवं पहचाना जावे एवं उपयोग किया जावे एवं एलआईसी की पॉलिसी क्रमांक 203114449 में मेरा नया नाम अंकित किया जावे.

पुराना नाम :

(मोहर सिंह कुशवाह)

(669-बी.)

नया नाम :

(बन्दी)

S/o चिन्ने सिंह,
पता-ग्राम व पोस्ट अमायन,
जिला-भिण्ड (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, सुनीता पत्नी श्री महेन्द्र सिंह सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम श्रीमती राज कुमारी यादव था. जो मेरी बीमा पॉलिसी क्रमांक 200349434 एवं शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में लिखा गया है जो कि गलत है. जबकि वर्तमान में मुझे सुनीता पत्नी श्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण-पत्रों जैसे आधार कार्ड और बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम सुनीता अंकित है एवं भविष्य में सुनीता के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूँगी. अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200349434 में मेरा नाम श्रीमती राज कुमारी यादव के स्थान पर सुनीता पत्नी श्री महेन्द्र सिंह लिखा एवं पढ़ा जाये.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(राज कुमारी यादव)

(672-बी.)

नया नाम :

(सुनीता)

पत्नी-श्री महेन्द्र सिंह,
पता-अभिनन्दन बाटिका के पास,
पुराना आमपुरा, मुरैना (म.प्र.)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती दिव्या शीतलानी पत्नी श्री नरेश शीतलानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि, मेरा विवाह पूर्व का नाम कु. मधु दुलानी पुत्री श्री जयराम दुलानी था. जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं पेन कार्ड में लिखा गया है. मेरा विवाह दिनांक 14-02-2005 को

श्री नरेश शीतलानी के साथ सिंधी रीति-रिवाज से हो गया है। विवाह उपरांत में मेरा नाम श्रीमती दिव्या शीतलानी पत्नी श्री नरेश शीतलानी हो गया है। जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में लिखा गया है। वर्तमान में मुझे श्रीमती दिव्या शीतलानी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा जाता है और भविष्य में भी मुझे श्रीमती दिव्या शीतलानी के नाम से ही जाना, पहचाना, पुकारा जाएगा। कु. मधु दुलानी एवं श्रीमती दिव्या शीतलानी मेरे ही नाम है। अतः मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कु. मधु दुलानी के स्थान पर श्रीमती दिव्या शीतलानी पत्नी श्री नरेश शीतलानी लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(मधु दुलानी)

पुत्री-श्री जयराम दुलानी.

(671-बी.)

नया नाम :

(दिव्या शीतलानी)

पत्नी-श्री नरेश शीतलानी,

निवासी-ई. एच. 22, हाउसिंग बोर्ड दुप्लेक्स कॉलोनी,
नेहरू नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) पिनकोड-462003.

नाम परिवर्तन

मैं, शैली रस्तोगी (SHELLY RASTOGI) पुत्री श्री रवि रस्तोगी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा नाम शैली रस्तोगी (SHELLY RASTOGI) है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण-पत्रों में अंकित है, मेरे UTI MUTUAL FUND No. 5114787706 में मेरा बचपन का नाम चासू रस्तोगी (CHASU RASTOGI) गलती से लिखा गया है। जोकि गलत है। और वर्तमान में मैं, शैली रस्तोगी (SHELLY RASTOGI) पुत्री श्री रवि रस्तोगी के नाम से ही जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा हस्ताक्षर करती हूँ और भविष्य में भी मैं, शैली रस्तोगी (SHELLY RASTOGI) के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी। अतः मेरी UTI MUTUAL FUND No. 5114787706 मेरा नाम चासू रस्तोगी (CHASU RASTOGI) के स्थान पर शैली रस्तोगी (SHELLY RASTOGI) लिखा जाये एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(चासू रस्तोगी)

(675-बी.)

नया नाम :

(शैली रस्तोगी)

(SHELLY RASTOGI)

पुत्री-श्री रवि रस्तोगी,

निवासी-हाउस नं. 113, पटेल कॉलोनी,
दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम वर्तमान में कई दस्तावेजों में मोहम्मद जाकिर हुसैन अंकित है तथा मुझे इस नाम से जाना एवं पहचाना जाता है। जिसे मैं तत्काल प्रभाव से परिवर्तित कर मोहम्मद जाकिर पिता मोहम्मद सिद्दीक करता हूँ। अब से मुझे मोहम्मद जाकिर पिता मोहम्मद सिद्दीक के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(मोहम्मद जाकिर हुसैन)

(677-बी.)

नया नाम :

(मोहम्मद जाकिर),

पिता-मोहम्मद सिद्दीक,

147, मदीना नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि दस्तावेजों में पूर्व में मेरा नाम कनीज फातीमा पति मो. जाकिर था। अब वर्तमान में मेरा नाम कनीज फातमा पति मोहम्मद जाकिर हो गया है। अब मुझे कनीज फातमा पति मोहम्मद जाकिर के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(कनीज फातीमा)

(678-बी.)

नया नाम :

(कनीज फातमा),

पिता-मोहम्मद जाकिर,

147, मदीना नगर, इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मेरा घरेलू बोलचाल में नाम चतुरा सुखानी (CHATURA SUKHANI) था। अब मैंने नाम में परिवर्तन/सुधार कर चित्रा सुखानी (CHITRA SUKHANI) कर लिया है। भविष्य में मुझे चित्रा सुखानी पत्नी श्री जमुनादास सुखानी नाम से ही जाना जाये।

पुराना नाम :

(चतुरा सुखानी)

(CHATURA SUKHANI)

(680-बी.)

नया नाम :

(चित्रा सुखानी)

(CHITRA SUKHANI)

हाल निवासी-124, तानसेन नगर,

ग्वालियर (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में माँ आदिशक्ति स्टोन क्रेशर पंजीयन क्र. 00128/12, पता-ग्राम पिपरवान पो. बडकुड, तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) से दिनांक 12-10-2020 से निम्न पार्टनरों को पृथक् कर दिया गया है, 1. विनय कुमार सिंह, 2. रमाशंकर पाठक, 3. श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह, 4. श्री प्रदुम्न कुमार सिंह उक्त दिनांक से ही फर्म में दो नये भागीदार श्री प्रदीप कुमार जायसवाल एवं श्री विजय कुमार जायसवाल को शामिल किया गया है, उक्त दिनांक पश्चात् पृथक् किये गये पार्टनरों को फर्म से किसी प्रकार का कोई लेनदेन नहीं रहेगा. शेष पार्टनर यथावत फर्म में ही बने रहेंगे.

मे. माँ आदिशक्ति स्टोन क्रेशर,
प्रदीप कुमार जायसवाल,
(भागीदार)

ग्राम-पिपरवान, पो. बडकुड,
तहसील चितरंगी, जिला सिंगरौली (म.प्र.).

(655-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म एसार इन्फ्रास्ट्रक्चर (ESSAR INFRASTRUCTURE) मकान नंबर एम. आई. जी. 85, पद्मधर कॉलोनी, रीवा पंजीयन संख्या 05/022/03/00038/12, दिनांक 18 जुलाई, 2012 पर पंजीकृत फर्म है. फर्म में पंजीयन के समय श्री राजेश कुमार अग्निहोत्री एवं श्रीमती सुधा शर्मा की भागीदारी थी. फर्म की रचना परिवर्तन दिनांक 20 फरवरी, 2020 को श्रीमती सुधा शर्मा फर्म के भागीदारी से पृथक् हो गई है एवं उक्त दिनांक को ही श्री जयदीप अग्निहोत्री फर्म के भागीदारी में सम्मिलित हुये हैं. उक्त फर्म की रचना परिवर्तन को सर्व-साधारण रूप से सूचित किया जाता है.

मैसर्स एसार इन्फ्रास्ट्रक्चर,
राजेश अग्निहोत्री,
(भागीदार)

(656-बी.)

MIG-85, पद्मधर कॉलोनी, देकहा, रीवा (म.प्र.).

PUBLIC NOTICE

This for public notice that we the undersigned, being the partners of the firm: M.F.T. Builders & Developers.

Registration No.01/01/01/00528/12. Date of Registration:-19 March, 2012.

Hereby supply the following particulars in pursuance of section 32(i)of the Indian Partnership Act. 1932.

1. Reconstruction of partnership due to the retirement of a partners.

That M/s. M.F.T. Builders & Developers is a partnership firm, which was reconstituted on 23/10/2020 due to the retirement of the partners.

(1) Tariq Iqbal Farooqui, R/o 9/2, Gulshan-E-Iqbal, Beside Rambha talkies Jhangirabad Bhopal-08 M.P.

(2)Farhana Iqbal. R/o 9/2, Gulshan-E-Iqbal, Besides Rambha talkies Jhangirabad Bhopal-08 M.P.

By virtue of the deed of retirement executed amongst himself & herself on 01/04/2020, the retiring partner unanimously agreed to leave the above-mentioned Firm,

The continuing partners

(1) Mohd Abdul Najeeb, (2) Faiza Najeeb, (3) Ms.Maliha Najeeb, (4) Ms.Mariyah Najeeb

M.F.T. Builders & Developers.

MOHD.ABDUL NAJEEB,

(657-बी.)

(Partner).

आम सूचना

सर्वजन एवं आमजन को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स परफेक्ट इंडस्ट्रीज जिसका पंजीयन क्रमांक 03/28/01/0023/20 व पंजीयन दिनांक 04-07-2020 है तथा फर्म का पंजीकृत पता सर्वे नंबर 7/1/6, 7/2/2 ग्राम सेजवानी, जिला धार है. जिसमें पंजीयन के समय तीन भागीदार (1) श्रीमती परवीन शेख पति श्री अमीरुद्दीन शेख, 2. श्रीमती सकीना हैदरी पति श्री मुर्तजा हैदरी, 3. श्रीमती रंजीत कौर डंग

पति श्री चरणजीत सिंह डंग थे. दिनांक 24-08-2020 को फर्म में दो नए भागीदारों हेमंत कुमार तोमर पिता अवधेश सिंह तोमर एवं श्री अमीरुद्दीन शेख पिता श्री निजामुद्दीन शेख ने फर्म में साझेदार होने की इच्छा प्रकट की जिसे फर्म के शेष भागीदारों ने स्वीकार कर लिया तथा वर्तमान में फर्म में 5 भागीदार हो गए हैं. जो इस प्रकार हैं. 1. श्रीमती परवीन शेख पति श्री अमीरुद्दीन शेख, 2. श्रीमती सकीना हैदरी पति श्री मुर्तजा हैदरी, 3. श्रीमती रंजीत कौर डंग पति श्री चरणजीत सिंह डंग, 4. हेमंत कुमार तोमर पिता अवधेश सिंह तोमर, 5. श्री अमीरुद्दीन शेख पिता श्री निजामुद्दीन शेख जो आमजन व सर्वजन को सूचित हों.

फर्म-मेसर्स परफेक्ट इंडस्ट्रीज,
सकीना हैदरी,
(भागीदार)

(661-बी.)

पता-82, बसंत विहार, कॉलोनी, धार.

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म M/s Singh Enterprises, 01, Jhansi Road, Hawaipatti, Shivpuri, (M.P.) पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0270/21, पंजीयन दिनांक 19-01-2021 में साझेदार 1. Smt. Vijaya Raje Chauhan W/o Shri Yougendra Pratap Singh Chauhan R/o Vill. Kararkheda, The. Pichhore, Distt. Shivpuri (M.P.) एवं 2. Shri Pratap Narayan Singh S/o Late Shri Harnam Singh Chauhan R/o Vill. Kararkheda, The. Pichhore, Distt. Shivpuri (M.P.) दिनांक 05-10-2020 से फर्म में सम्मिलित हुए हैं एवं Shri Manvendra Pratap Singh Chauhan S/o Late Shri Indrapal Singh Chauhan R/o Gandhi Colony, Shivpuri, (M.P.) ने 05/10/2020 से फर्म से पदभार छोड़ दिया है. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

M/s. Singh Enterprises,
योगेन्द्र प्रताप सिंह चौहान,
(Partner).

(662-बी.)

PUBLIC NOTICE

U/s. 72 of The Indian Partnership Act, 1932

Notice is hereby given that the firms "kalash minerals" of Chhatarpur vide Registration No. 06/12/01/0141/15/2014-2015 on dated 29-01-2015 undergone the following changes:-

1. That Shri Hemant Agrawal S/o Shri Channulal Agrawal, has desire to retire from the partnership firm, w.e.f. 01-10-2019.
2. That Shri Sumant Gupta S/o Shri Ramkishan Gupta and Shri Anurag Panday S/o Shri Hari Shanker Panday has desire to retire from the partnership firm, w.e.f. 01-10-2020.

M/s. Kalash Minerals,
SUBODH DWIVEDI,
(Partner)

Ward No. 02, Peptek Town,
Naogaon Road-Chhatarpur (M.P.).

(663- B.)

आम सूचना

भारतीय भागीदारी अधिनियम-1932 के अधीन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स ब्रह्म बालाजी ट्रांसपोर्ट सर्विस पंजी. क्र. 0124, दिनांक 05-10-2015, 161, नैनागढ़ रोड, महेश्वरी धर्मशाला, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) एवं फर्म की रचना में दिनांक 01-01-2021 को साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है जो निम्नानुसार है:-

(1) संजय मंगल आत्मज श्री मातादीन मंगल, (2) अशोक अग्रवाल आत्मज श्री मोहनलाल अग्रवाल, (3) रहीम खान आत्मज श्री सरदार खान, (4) आविद आत्मज श्री शेर खान, (5) फिरोज खान आत्मज श्री अब्दुल रहमान वर्तमान में भागीदार हैं. दिनांक 01-01-2021 से (1) रहीम खान आत्मज श्री सरदार खान, (2) आविद आत्मज श्री शेर खान, (3) फिरोज खान आत्मज श्री अब्दुल रहमान उक्त फर्म में नये भागीदार बनाये गये हैं.

दिनेश कुमार जैन,
एडवोकेट,
मुरैना (म.प्र.).

(664-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मेसर्स न्यू इरा इंटरप्राइजेज जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00389/13, दिनांक 27-12-2013 है। जिसका पंजीकृत पता-23-बी, सेक्टर, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, भोपाल म.प्र. है। जिसमें दिनांक 02-11-2020 को भागीदार श्री विजय कुमार जैन का स्वर्गवास हो जाने के कारण भागीदारी फर्म से पृथक् हो गये एवं दिनांक 02-11-2020 को श्रीमती वीणा जैन पत्नि स्व. श्री विजय कुमार जैन को नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित किया गया। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मेसर्स न्यू इरा इंटरप्राइजेज,
जयदीप जैन,
(भागीदार)

पता-23-बी, सेक्टर, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया,
भोपाल (म.प्र.).

(673-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s Bhagya Laxmi Roadlines में सभी पार्टनरों की सर्व सहमति से फर्म की रचना में दिनांक 12 जनवरी, 2021 को परिवर्तन किया जाकर एक नया पार्टनर सूर्यप्रताप सिंह को जोड़ा जा रहा है, इसके साथ ही फर्म के पंजीकृत पते में भी परिवर्तन किया जाकर Ward No. 10 Behind Govt. Hospital, Border Chakghat, Rewa (M.P.) किया जा रहा है।

M/s Bhagya Laxmi Roadlines,
मनोज कुमार तिवारी,
(पार्टनर).

(674-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पार्टनरशिप फर्म फरदीन फेब्रीकेटर्स, जिसका कार्यालय पता-7-डी/1, सेक्टर-एच, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल जिसके भागीदार 1. मो. सद्दाम खान आत्मज श्री रखमान खान, आयु वयस्क (वर्किंग पार्टनर), 2. रखमान खान आत्मज स्व. श्री जहांगीर खान, आयु वयस्क (वर्किंग पार्टनर), 3. फरदीन खान अवयस्क, 4. फरहान खान, अवयस्क, 5. रेहान खान, अवयस्क तीनों आत्मज स्व. श्री जलील खान सभी निवासी म.नं. 15, मुकद्दस नगर, पुल वोगदा, भोपाल (पार्टनर नं. 3,4,5 द्वारा संरक्षक रखमान खान) उक्त पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल संभाग मध्यप्रदेश में पंजीयन क्रमांक 01/01/01/0038/16, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 को पंजीकृत है। जिसके पार्टनर क्रमांक 01 मो. सद्दाम खान ने अपने व्यक्तिगत कारणों से अपनी स्वेच्छा उक्त फर्म से अपना 7000 वर्गफिट भूखण्ड का हिस्सा प्राप्त कर फर्म से पृथक् कर लिया है। उक्त फर्म की भागीदारी दिनांक 11-12-2020 से विच्छेद/डिसॉल्व कर दिया गया है तथा वह अपनी नई फर्म अलमाज इन्टरप्राइजेस के नाम से कारोबार करना चाहता है तथा अपने हिसाब से एकल प्रोपराईटर या अन्य स्वरूप में गठन व संचालन करने के लिये स्वतन्त्र रहेगा। उक्त फरदीन फेब्रीकेटर्स से सद्दाम खान को अब पृथक् व अलग माना जावे तथा उसका फरदीन फेब्रीकेटर्स से कोई वास्ता नहीं रहा है और नहीं कोई संव्यवहार हो सकेगा। आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

नरेश पाटीदार,

एडवोकेट,

पाटीदार लॉ चेंबर,

2-ए, रत्नागिरी, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).

(676-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि M/s Narayanam Mining And Logistic Co. दिनांक 10-02-2020 से एक पंजीकृत साझेदारी फर्म रजि. नं. 02/42/01/0302/20 वर्ष 2019-2020 के रूप में कार्य कर रही है, जिसका पुनः संशोधित साझेदारी विलेख दिनांक 19-11-2020 से इस प्रकार है। कि श्री रचित दांतरे पुत्र श्री धर्मेन्द्र दांतरे अपनी स्वेच्छा से त्याग-पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं तथा श्री विकाश दांतरे पुत्र श्री जय प्रकाश दांतरे फर्म में सम्मिलित हुए हैं। हर आम आदमी को सूचित हो।

For-Narayanam Mining And Logistic Co.,
RAM KUMAR GURJAR, VIKASH DANTRE,
(Partner).

B-11, Purshottam Vihar, Gole Ka Mandir,
Bhind Road, Gwalior 474005.

(679-बी.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक एवं प्रबंधक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

28 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./क्यू.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत आदेश क्रमांक/विधि/2021/93, दिनांक 28-01-2021 से मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भग्यापुर	1972/04-09-2006	93/28-01-2021
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धमनगाँव	2165/15-09-2011	93/28-01-2021
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जलकुआँ	2195/31-03-2012	93/28-01-2021
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मथेला	2197/31-03-2012	93/28-01-2021

अतः मैं, ए. के. दुबे, परिसमापक एवं प्रबंधक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम क्रमांक-57 (सी/ग) के अंतर्गत उक्त संस्था/संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे कार्यालय, दुग्ध संयंत्र खण्डवा में लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा, उसके अनुसार ही कार्यावाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस उक्त समिति/समितियों की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियाँ अथवा कोई भी सामान या रिकार्ड आदि हो, तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अंदर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास उपरोक्त समितियों का रिकार्ड होने की जानकारी मिलती है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 29 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

ए. के. दुबे,

परिसमापक एवं प्रबंधक.

(72)

कार्यालय परिसमापक उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

दिनांक 20 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 की धारा-57 (सी) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/क्यू —उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगौन द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं को सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन क्रमांक व दिनांक	विकासखण्ड	परिसमापक का नाम
1.	श्री स्वास्तिक साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन.	85/23-08-2005	1436/11-11-2020	खरगौन	आर.आर. भट्ट, स.नि.
2.	राजेश्वरी साख सहकारी संस्था मर्यादित, खरगौन.	189/01-05-2010	1441/11-11-2020	खरगौन	आर.आर. भट्ट, स.नि.
3.	अभिलाषा अर्वातिका बिज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, भगवानपुरा	197/23-02-2009	1458/11-11-2020	भगवानपुरा	आर.आर. भट्ट, स.नि.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57(सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि वे संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी होने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखितरूप से मेरे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन कार्यालयीन दिवस में प्रातः 11.00 से दोपहर 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटबारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे. समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होगी तथा संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यावाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 20 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आर. आर. भट्ट,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(73)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 28 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/क्यू—कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	सुदर्शन हायब्रीड बीज उत्पादक सह.संस्था मर्या., बालसमुंद	1843/10-03-2014	1450/11-11-2020
2.	मंथन बीज उत्पादक सह.संस्था मर्या., भगवानपुरा	1877/10-03-2014	1457/11-11-2020
3.	मां दुर्गा बीज उत्पादक सह.संस्था मर्या., बलखड खुर्द	1903/10-03-2014	1460/11-11-2020
4.	हरि ओम साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	1855/10-03-2014	1464/11-11-2020

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अंदर अपने दावों, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रेकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

सूचना आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को परिसमापक मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

एस. आर. सोलंकी,

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(74)

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 25 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(1) (सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./2021/01.—कार्यालय उप-पंजीयक (प्रशासन), सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत निम्न सूची अनुसार सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	नन्दि साख सहकारी संस्था मर्या., बडवाह	214/04-10-2011 1915/10-03-2014	1445/11-11-2020
2.	महाराणा प्रताप साख सहकारी संस्था मर्या., सनावद	179/22-09-2009 1880/10-03-2014	1446/11-11-2020
3.	कोटेश्वर साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन	131/27-08-2007 1832/10-03-2014	1430/11-11-2020

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना/देना निकल रहा है वह इस विज्ञापित प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अंदर अपने दावों, मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रेकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किन्ही भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों पदाधिकारियों के पास इन संस्थाओं से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इन सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अंदर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इन समितियों की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

सूचना आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को परिसमापक मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

(75)

अरूण पाण्डेय,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला गुना

गुना, दिनांक 27 जनवरी, 2021

क्र./परि./2020/137.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/1901 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के द्वारा संगम बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित गुना, जिसका पंजीयन क्रमांक 114, दिनांक 28 फरवरी, 2009 है के निष्क्रिय होने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया तथा आदेश क्रमांक/2141 दिनांक 06 सितम्बर, 2019 के द्वारा श्री अमरसिंह, अंकेक्षण अधिकारी को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया. परिसमापक की अध्यक्षता में संगम बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित गुना की आमसभा दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 में पारित निर्णय अनुसार संस्था सदस्यों के संस्था पुर्नजीवित करने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया है. संस्था सदस्यों के द्वारा उपविधि में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अंकेक्षण के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया का परीक्षण करने पर पाया गया कि, संस्था सदस्यों के हितो को संरक्षण दृष्टि से संस्था का अस्तित्व में बना रहना एवं उसे पुर्नजीवित करना उचित है.

अतः मैं, मुकेश कुमार जैन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं गुना सहकारिता विभाग की विज्ञापित क्रमांक/एफ/5-1-99/15-1 सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा-4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संगम बीज उत्पादक एवं विपणन प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित गुना का परिसमापन आदेश क्रमांक/परिसमापक/1901 दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को निरस्त करते हुए संस्था को पुर्नजीवित करता हूँ. संस्था की आमसभा द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार संस्था के कार्य संचालन हेतु नवीन निर्वाचन

होने तक निर्मांकित कमेटी तीन माह के लिए नामांकित करता हूँ-

1.	श्री सुरेश सिंह/ श्री हरिरामसिंह	अध्यक्ष
2.	श्री ब्रजेन्द्रसिंह/ श्री रघुवीरसिंह	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति रेखा/श्री अतुलसिंह	संचालक
4.	श्रीमति प्रीति/श्री सुरेशसिंह	संचालक
5.	श्री भानू/श्री बिहारी हरिजन	संचालक
6.	श्री अवधेशसिंह/ श्री हरिरामसिंह	संचालक
7.	श्री रतिराम/श्री हमीरसिंह	संचालक
8.	श्री मुनेश/श्री भगवतसिंह	संचालक
9.	श्री उदयसिंह/श्री महेन्द्रसिंह	संचालक
10.	श्रीमति रामदुलारी/श्री पप्पू हरिजन	संचालक
11.	श्री अतुल/रघुवीरसिंह	संचालक

संस्था को निर्देशित किया जाता है कि नामांकित प्रबंधकारिणी कमेटी नियमानुसार तीन माह में निर्वाचन पूर्ण करावें।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

मुकेश कुमार जैन,
उप-पंजीयक.

(76)

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 25 जून, 2020

क्र./परि./2021/2207.—श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामगी, पंजीयन क्रमांक 1540, दिनांक 28 जनवरी, 2015 है, संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराये जाने के कारण मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-49(7) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1650, दिनांक 06 अक्टूबर, 2019 से संस्था का प्रशासक नियुक्त किया गया है। प्रशासक द्वारा संस्था का पदभार गृहण करने के पश्चात निर्वाचन की प्रक्रिया हेतु सदस्यों की बैठक आहूत की गयी, आहूत बैठक में निर्णय लिया गया कि संस्था के विगत वर्षों से बन्द होने व सदस्यों में संस्था का संचालन करने में रुचि न होने से संस्था के संचालन की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त स्थिति में संस्था को परिसमापन में लाने का निर्णय लिया गया। प्रशासक से प्राप्त उपरोक्तानुसार कार्यवाही विवरण दिनांक 22 दिसम्बर, 2020 से यह स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील है एवं भविष्य में उसके संचालन की संभावना नहीं है। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69(3) के अंतर्गत कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1344, दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 से कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया गया था जिसका जवाब प्रस्तुत करने के लिये 30 दिवस का समय दिया गया था। उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और ना ही प्रशासक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि संस्था उद्देश्यानुसार कार्य नहीं कर रही है एवं संस्था के सदस्य संस्था का संचालन करने में उदासीन है।

अतः मैं, महेन्द्र कुमार दीक्षित, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सामगी, पंजीयन क्रमांक 1540, दिनांक 28 जनवरी, 2015 है। को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अंतर्गत परिसमापन में लाता हूँ एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री अरूण पेन्डारे, उप अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया जाता है।

महेन्द्र कुमार दीक्षित,
उप-रजिस्ट्रार.

(77)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

विदिशा, दिनांक 28 जनवरी, 2021

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2019/90.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/542, विदिशा, दिनांक 30 मार्च, 2017 से सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुगलसराय, तहसील सिंरोज व जिला विदिशा को परिसमापन में लाया गया था।

संस्था के परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाना संस्था सदस्यों के हित में है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) तथा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्वहारा मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., मुगलसराय, तहसील सिंरोज व जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही.डी.एस./720, दिनांक 31 अगस्त, 2006 को पुनर्जीवित करता हूँ।

उपरोक्त सहकारी संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन होने तक कार्य संचालन हेतु निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति अस्थायी रूप से नामांकित की जाती है।

1. श्री संग्राम सिंह	अध्यक्ष	6. श्री शहीद बेग	संचालक
2. श्रीमती कलाबाई	उपाध्यक्ष	7. श्रीमती भागवती बाई	संचालक
3. श्री अच्छे मियां	संचालक	8. श्रीमती प्रेमाबाई	संचालक
4. श्री वोकेलाल	संचालक	9. श्री रामेश्वर	संचालक
5. श्री प्रदीप	संचालक		

संस्था के लिए यह बाध्य कर होगा कि वह एक सप्ताह में निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत कर तीन माह के अन्दर निर्वाचन सम्पन्न करायें।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(78)

विदिशा, दिनांक 28 जनवरी, 2021

क्र./परि./2019/91.— यह कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1918, विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर, 2017 से इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., विदिशा, तहसील विदिशा, जिला विदिशा पंजीयन क्र./डी.आर./व्ही.डी.एस./1071, दिनांक 31 जनवरी, 2017 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया धारा-70 के अंतर्गत श्री आर.के. कटारे सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त कर संस्था के पंजीयन निरस्त किए जाने की कार्यवाही अपेक्षित की गई।

श्री आर.के. कटारे, सहकारी निरीक्षक द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2021 को इंदिरा सेवा एवं कल्याण साख सहकारी संस्था मर्यादित विदिशा के पंजीयन निरस्त की जाने की अनुशंसा कर अंतिम प्रतिवेदन के संबंध में संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत की गई जानकारी का परीक्षण किया गया। प्रस्तुत परीक्षण टीप से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि अधिनियम, नियम एवं प्रभावशील दिशा निर्देशों के आधार पर परिसमापक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही कर अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदन के आधार पर संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना विधिपूर्ण है।

अतः मैं, के.के. द्विवेदी, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ-5-1-99/एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करता हूँ। रद्दकरण के आदेश की तारीख से संस्था विघटित समझी जाकर इसका निगम निकाय के रूप में अस्तित्व नहीं होगा।

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी नियम 1962 के नियम 58 के अंतर्गत परिसमापक श्री आर.के. कटारे सहकारी निरीक्षक को आदेशित करता हूँ कि वह संस्था के संपूर्ण पुस्तकें अभिलेख, परिसमापन की कार्यवाही संबंधी समस्त रिकार्ड कार्यालय के परिसमापन कक्ष में जमा कर पावती प्राप्त करें।

यह आदेश आज दिनांक 28 जनवरी, 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी।

के. के. द्विवेदी,
उप-पंजीयक.

(79)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 7]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 फरवरी, 2021-माघ-23, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 6 जनवरी, 2021

1. **मौसम एवं वर्षा:**—ग्राय: राज्य में मौसम मेघाच्छादित रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में वर्षा मिली मीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-**राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव :-** राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. **धानरोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-**रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-**कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-**कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. **अन्य असामयक घटना से क्षति :-**कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. **फसल स्थिति :-**जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. **सिंचाई:-** राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. **पशुओं की स्थिति:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. **चारा :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. **बीज:-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. **खेतिहर श्रमिक :-** राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
37.	राजगढ़ :	राजगढ़ जीरापुर खिलचीपुर ब्यावरा सारंगपुर पचोर नरसिंहगढ़ 1.0	गेहूँ चना मसूर अन्य	अधिक कम अधिक	5% 5% 5%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
38.	विदिशा :	लटेरी सिरोंज कुरवाई बासोदा नटेरन विदिशा गुलाबगंज शमसाबाद त्यौंदा पठारी ग्यारसपुर 2.0 1.0 1.0	गेहूँ मसूर चना	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	15% 15% 20%	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)सामान्य.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
39.	भोपाल :	बैरसिया कोलार हुजूर बैरागढ़ 2.1	गेहूँ चना मटर मसूर	कम अधिक सामान्य	10% 15% ..	सामान्य सामान्य सामान्य	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.
40.	सीहोर :	सीहोर आष्टा इछाबर नसरुल्लागंज रेहटी श्यामपुर जावर बुधनी	गन्ना तुअर गेहूँ चना मसूर	कम कम अधिक अधिक कम	50% 15% 2% 2% 2%	सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई सुधरी हुई	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त	8. पर्याप्त.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		गेहूँ	सामान्य	..	समान	..	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट		चना	समान	..	समान
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबर्वा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(82)

ओ. पी. बाथम,
प्रभारी सहायक-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.